

हरियाणा सरकार

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग

अधिसूचना

दिनांक 25 सितम्बर, 2009

संख्या सी० सी० पी० (एन० सी० आर०)/ पी० पी० टी० / ददलाना / सी० ए० /2009/2679.—चूंकि, सरकार की राय में नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट तथा उससे सलग्न योजना में दर्शाए गये क्षेत्र, भवन गतिविधियों तथा अनियमित विकास के लिए संभाव्य है;

इसलिए, अब, पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41), की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, उक्त क्षेत्रों की उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए नियंत्रित क्षेत्र के रूप में घोषित करते हैं, अर्थात्:-

अनुसूची

गांव ददलाना (हदबस्त संख्या- 25) जिला पानीपत के नजदीक के अतिरिक्त नियंत्रित क्षेत्र की सीमाओं का अनुसूची को ड्राईंग संख्या डी. टी. पी. (पीएन) 355/08, दिनांक 19 मई, 2008 के साथ पढ़ा जाए।

उत्तर: बिन्दु 'ए' से प्रारम्भ करते हुए जो कि गांव ददलाना (हदबस्त संख्या-25) की आयत संख्या 41 का उत्तर-पश्चिम कोना है तथा जिला पानीपत तथा करनाल की जिला सीमाओं का मिलन बिन्दु है। तत्पश्चात् पूर्व की ओर गांव ददलाना (हदबस्त संख्या-25) की आयत संख्या 41 की उत्तरी सीमा के साथ-साथ तत्पश्चात् दक्षिण की ओर इसी गांव की आयत संख्या 41 तथा 50 की पूर्वी सीमाओं के साथ-साथ तत्पश्चात् पूर्व की ओर गांव ददलाना (हदबस्त संख्या-25) की आयत संख्या 54, 55, तथा 56 की उत्तरी सीमाओं के साथ-साथ बिन्दु 'बी' तक जो कि गांव ददलाना (हदबस्त संख्या-25) की आयत संख्या 56 का उत्तर-पूर्व कोना है।

पूर्व: तत्पश्चात् बिन्दु 'बी' से होते हुए दक्षिण की ओर गांव ददलाना (हदबस्त संख्या-25) की आयत संख्या 56, 57, 58, 70 तथा 69 की पूर्वी सीमाओं के साथ-साथ तथा जिला पानीपत तथा करनाल की पूर्वी सीमाओं के साथ-साथ बिन्दु 'सी' तक जो कि गांव ददलाना (हदबस्त संख्या-25) की आयत संख्या 69 का दक्षिण-पूर्व कोना है।

दक्षिण: तत्पश्चात् बिन्दु 'सी' से होते हुए पश्चिम की ओर गांव ददलाना (हदबस्त संख्या-25) की आयत संख्या 69 तथा 68 की दक्षिणी सीमाओं के साथ-साथ। तत्पश्चात् इसी गांव की आयत संख्या 68 तथा 60 की पश्चिमी सीमाओं के साथ-साथ। तत्पश्चात् पश्चिम की ओर गांव ददलाना (हदबस्त संख्या-25) की आयत संख्या 54, 53 तथा 52 की दक्षिणी सीमा के साथ-साथ बिन्दु 'डी' तक जो कि गांव ददलाना (हदबस्त संख्या-25) की आयत संख्या 52 का दक्षिण-पश्चिम कोना है तथा जिला पानीपत तथा करनाल की जिला सीमाओं का मिलन बिन्दु है।

पश्चिम: तत्पश्चात् बिन्दु 'डी' से होते हुए उत्तर की ओर गांव ददलाना (हदबस्त संख्या-25) की आयत संख्या 52, 51, 50 तथा 41 की पश्चिमी सीमाओं के साथ-साथ तथा जिला पानीपत तथा करनाल की जिला सीमाओं के साथ-साथ बिन्दु 'ए' तक जो कि प्रारम्भिक बिन्दु है।

डी० एस० हेसी,

वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

Notification

The 25th September, 2009

"P(NCR)/PPT/DADLANA/ACA/2009/2679. —Whereas in the opinion of the Government, the area specified in the Schedule given below and shown in the plan appended hereto has the potential for building activities and haphazard development;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963), the Governor of Haryana hereby declares the said area to be a controlled area for the purposes of the said Act, namely:-

Schedule

Schedule of boundaries of additional controlled area near Village Dadlana (Hadbast number 25) district Panipat to be read with Drawing No. D.T.P. (PN) 355/08, dated the 19th May, 2008.

- North: Starting from Point 'A' i.e. the north-west corner of rectangle number 41 of village Dadlana (Hadbast number 25) and also meeting point of district boundaries of Panipat and Karnal. Thence moving towards east along the northern boundary of rectangle number 41 of Village Dadlana (Hadbast number 25) thence, towards south along the eastern boundary of rectangle number 41 and 50 of the same Village thence towards east along the northern boundary of rectangle number 54, 55 and 56 of Village Dadlana (Hadbast number 25) up to point 'B' i.e. north - east corner of rectangle number 56 of village Dadlana (Hadbast number 25)
- East: Thence moving from point 'B' towards south along the eastern boundary of rectangle number 56, 57, 58, 70 and 69 of Village Dadlana (Hadbast number 25) as well as along the eastern district boundary of district Panipat and Karnal upto point 'C' i.e. south-east corner of rectangle number 69 of Village Dadlana (Hadbast number 25).
- South: Thence moving from point 'C' towards west-south along the southern boundary of rectangle number 69 and 68 of Village Dadlana (Hadbast number 25). Thence towards north along the western boundary of rectangle number 68 and 60 of the same village. Thence towards west along the southern-boundary of rectangle number 54, 53 and 52 of village Dadlana (Hadbast number 25) upto point 'D' i.e. south-west corner of rectangle number 52 of village Dadlana (Hadbast number 25) and also meeting point of with district boundaries of district Panipat and Karnal.
- West: Thence moving from point 'D' towards north along the western boundary of rectangle number 52, 51, 50 and 41 of Village Dadlana (Hadbast number 25) and as well as along the district boundaries of district Panipat and Karnal upto point 'A' i.e. the point of start.

D. S. DHESI,

Financial Commissioner and Principal Secretary
to Government, Haryana, Town and Country Planning Department.